प्रेषक,

उपनिदेशक खनन,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभार्ग, उत्तराखण्ड,
उधमसिहनगर।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
उधमसिहनगर।

पत्रांक 518 /भू0खनि0वि0–उ0सि0नं0/अं0ख0नि0दलपत्रा0/विविध/2022–23 दिनांक 12–जुलाई, 2023.

विषयः– अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन समय तक की कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0 1573/उ0ख0/भू0खनि0नि0/2023–24 दिनांक 11 जुलाई, 2023 जो समस्त जिला खान अधिकारी उत्तराखण्ड को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित जनहित याचिका सं0 17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुपालन में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन तक कितनी बैठकें आहूत की गयी है तथा कितने स्थलों पर साइन बोर्ड लगाये गये है, की सूचना मय फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) की दिनांक 19.04.2023 को बैठक आहूत की गयी, तत्समन्धी जिलाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंहनगर के पत्र सं0 8475/न्याय सहा0–2(891)/2023 दिनांक 01/05/2023 के द्वारा जारी कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है, एवं कतिपय चुगान लाटों के साईन बोर्ड के यथास्थल फोटोग्राफ इस पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है।

उक्तानुसार सूचना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु महोदय को ई–मेल के माध्यम से (dir.ukdgm@gmail.com) से सादर प्रेषित है।

संलग्नःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Krishna
सहा0 भू वैज्ञानिक
कृते उप निदेशक खनन,
ऊधमसिंहनगर।

पृ0सं0 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक खनन,
ऊधमसिंहनगर।

अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अवैध खनन निरोधक दल (District Illigal mining force) की जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर की अध्यक्षता में दिनांक 10.04.2023 को बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्नलिखित उपस्थित हुए, जिसका कार्यवृत्त निम्नानुसार है:-

उपस्थिति:-

01- श्री मंजूनाथ टी0सी0, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर।
02- श्री वैभव सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर।
03- श्री जय भारत सिंह, अपर जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।
04- श्री चन्द्रशेखर, एस0पी0 अपराध/यातायात उधमसिंहनगर।
05- सुश्री अनामिका प्रशिक्षु आई0एस0।
06- डॉ आर0के0 श्रीवास्तव (एच0ओ0डी) जी0बी0 पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
07- श्री मनिष विष्ट, प्रभारी अधिकारी खनन उधमसिंहनगर।
08- श्री पी0के0 सिंह, ए0आर0टी0ओ0, (प्रर्वतन), उधमसिंहनगर।
09- श्री दिनेश कुमार, उपनिदेशक खनन उधमसिंनगर।
10- श्री प्रदीप कुमार, एस0डी0ओ0 रामनगर।
11- श्री अनिल कुमार जोशी, एस0डी0ओ0 गौला।
12- श्रीमती चन्द्र कला ग्राम प्रधान शान्तिपुरी।
13- श्री विशन सिंह कोरंगा, ग्राम प्रधान शान्तिपुरी नं0 02।
14- श्री राहुल तिवारी, ग्राम प्रधान शान्तिपुरी नं0 04।
15- श्री कैलाश चन्द्र जोशी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधी शान्तिपुरी।
16- श्री गजेन्द्र सिरोही, ग्राम प्रधान जुड़का काशीपुर।
17- श्रीमती राधा देवी, ग्राम प्रधान उकरौली सितारगंज।
18- श्रीमती रीति कोहली, ग्राम प्रधान नगला तराई खटिमा।
19- श्री हरनाम सिंह, ग्राम प्रधान दभौरा मुस्तहकम काशीपुर।
20- श्री मनीष सिंह राना, ग्राम प्रधान साधुनगर सितारगंज।
21- श्री राकेश कुमार, ग्राम प्रधाननकुलिया सितारगंज।
22- श्री धर्मवीर, ग्राम प्रधान तुर्कातसौर सितारगंज।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगणों का स्वागत किया गया, तदोपरान्त कमेटी द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निम्न कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया:-

बिन्दु सं0 1- अपर जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि रिट याचिका सं0 17/2023 में दिनांक 06.04.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये है:-

Mr. Prakash Arya, the Divisional Forest Officer, Tarai West, Forest Division Ramnagar is present. He states that a large number of stone crushers have been set up on both sides of Kosi River. He submits that the Kosi River is accessible from numerous points, and it is practically impossible to check the illegal mining being carried out on the riverbed, and transportation of the RBM, which is being illegally mined. He submits that the RBM, which is being illegally mined, is being supplied to the stone crushers, which are utilizing the same. He further submits that, in case the stone crushers are regulated, and there is no taker of the RBM, which is illegally mined from the river, the illegal mining itself could be curbed. Mr. Rawat, learned Chief Standing Counsel submits that the District Anti Illegal Mining Force has been constituted in each district of the State, in terms of the judgment dated 03.09.2019 passed in Writ Petition (PIL) No. 107/2018, which was reiterated by us in our order dated 16.03.2023. We direct the District Anti Illegal Mining Force, Udham Singh Nagar to forthwith look into the aforesaid aspect and take appropriate steps. A further affidavit be filed before the next date, disclosing what directions have been issued by the District Anti Illegal Mining Force, and what steps have been taken in pursuance thereof. List on 27.06.2023. Interim directions to continue till the next date of listing.

उक्त के कम में उपनिदेशक खनन द्वारा अवगत कराया गया की मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड़ नैनीताल के आदेश के अनुपालन में जिला स्तर, उपखण्ड़ स्तर एवं राजस्व निरीक्षक क्षेत्र स्तर पर 03 अवैध खनन निरोधक दल (District illigal mining force) का गठन किया जा चुका है। उक्त समितियों द्वारा निरन्तर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्व कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

उपरोक्त के कम में निर्देशित किया गया की जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्व निरन्तर कार्यवाही अमल में लायी जाये। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर उपनिदेशक खनन एवं उपखण्ड स्तर पर गठित कमेटी के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण से सम्बन्धित पंजिका तैयार करना सुनिश्चित करते हुए, प्राप्त शिकायतों का उक्त पंजिका में अंकन करने उपरान्त 07 दिवस अन्तर्गत अनिवार्य रुप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे, एवं समस्त उपजिलाधिकारी अपने स्तर से खनन क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु राजस्व क्षेत्रानुसार टीम का गठन करेगे।

(उपनिदेशक खनन एवं अध्यक्ष/सदस्य उपखण्ड़ स्तरीय समिति)

बिन्दु सं0 2– अपर जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया की अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालो के विरुद्व आमजनमानस द्वारा शिकायत किस स्तर पर की जाये से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी न होने के कारण अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारणकर्ता भागने में सफल रहते है।

उपनिदेशक खनन द्वारा अवगत कराया गया की अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालो के विरुद्व शिकायत दर्ज कराने हेतु निदेशक स्तर से पोर्टल/नम्बर यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने प्रस्तावित है।

उपरोक्त के कम में निर्देशित किया गया कि जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवैध खननकर्ता, परिवहनकर्ता एवं भण्डारणकर्ता के विरुद्व शिकायत दर्ज कराने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के नम्बर सार्वजनिक करते हुए जनपद क्षेत्रान्तर्गत बैनर/फ्लैक्सी लगाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कोई भी व्यक्ति अवैध खनन स्थल के फोटो एवं विडियों बना कर उपलब्ध करा सके या फोन कर उक्त की सूचना ससमय दे सके।

(उपनिदेशक खनन उधमसिंहनगर)

बिन्दु सं0 3– उपनिदेशक खनन द्वारा अवगत कराया गया की जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवैध परिवहन करने पर कार्यवाही करने उंपरान्त सीज करे हुए वाहनों को पुलिस की सुपुर्दगी में देने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं अन्य द्वारा लेने से इंकार किया जाता है जिससे प्रर्वतन की कार्यवाही मे अंडचन उत्पन्न होती है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय प्रकरणों पर वाहन को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया जाता है, किन्तु उक्त वाहनों के सुपुर्दगीनामा एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नही कराये जाते जिससे उक्त वाहनों के विरुद्व अग्रिम कार्यवाही किये जाने में बाधा उत्पन्न होती हैं।

उपरोक्त के कम में निर्देशित किया गया की प्रर्वतन की कार्यवाही के दौरान ही चालान एवं समस्त अभिलेख तैयार किये जाये, एवं वाहनों के साथ उनकी सुपुर्दगीनामा एवं अन्य अभिलेख भी सम्बन्धित को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा स्वीकार किया गया कि सुपुर्दगीनामा एवं अन्य अभिलेख तैयार किये जाने उंपरान्त वाहन को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया जाता है तो उक्त वाहनों को को पुलिस अपनी अभिरक्षा में ले लगी।

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर/समस्त उपजिलाधिकारी उधमसिंहनगर/
उपनिदेशक खनन उधमसिंहनगर/ सम्मागीय परिवहन अधिकारी उधमसिंहनगर)

बिन्दु सं0 4– उपनिदेशक खनन द्वारा अवगत कराया गया की जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरुद्व कार्यवाही करने उंपरान्त यदि किसी व्यक्तियों/फर्मो के विरुद्व प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करवाने हेतु सम्बन्धित लेखपाल, खान निरीक्षक अथवा खनन मोहर्रिर द्वारा तहरीर दी जाती है तो सम्बन्धित को उक्त एफ0आई0आर दर्ज कराने में काफी दिक्कतों का समाना करना पड़ता है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया की किसी के भी विरुद्व एफ0आई0आर0 उच्च स्तरीय अधिकारीयों द्वारा लिखाया जाना आवश्यक है, जिससे भविष्य में सम्बन्धित के विरुद्व कार्यवाही करने में विधिवत् अडचन उत्पन्न न हो।

अपर जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया कि यदि किसी भू–स्वामी (अवैध खननकर्ता/भण्डारणकर्ता) के विरुद्व एफ0आई0आर0 लिखवाई जानी हो तो उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख राजस्व उपनिरीक्षक (लेखपाल) के पास संरक्षित होते है, इसी प्रकार किसी अवैध परिवहनकर्ता के विरुद्व चालन की कार्यवाही की जाती

है तो उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख खान निरीक्षक/खनन मोहर्रिर के पास संरक्षित होते है, जिस कारण उक्त कार्मिक के द्वारा एफ0आई0आर0 लिखवाने की कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

उपरोक्त के कम में निर्देशित किया गया कि यदि भविष्य में किसी भी अवैध खननकर्ता, परिवहनकर्ता एवं भण्डारणकर्ता के विरुद्व एफ0आई0आर0 की कार्यवाही कि जानी हो तो सम्बन्धित लेखपाल, खान निरीक्षक अथवा खनन मोहर्रिर सम्बन्धित के विरुद्व की गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या की प्रति के साथ एफ0आई0आर0 की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर द्वारा स्वीकार किया गया कि भविष्य में यदि राजस्व उपनिरीक्षक (लेखपाल) खान निरीक्षक/खनन मोहर्रिर द्वारा एफ0आई0आर0 हेतु अनुरोध किया जाता है तो उक्त एफ0आई0आर0 दर्ज कर लि जायेगी।

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर/समस्त उपजिलाधिकारी उधमसिंहनगर/उपनिदेशक खनन उधमसिंहनगर)

बिन्दु सं0 5– प्रभारी अधिकारी खनन कलैक्ट्रेट उधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद क्षेत्रान्तर्गत अधिकाश वाहनों एवं मशीनों पर जी0पी0एस0 नही लगाये गये है, इसके अतिरिक्त कृषि कार्य वाले ट्रैक्टर ट्राली जिनका (कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन) नही है उनके द्वारा भी कृषि कार्य के अतिरिक्त उक्त वाहनों से खनन कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्त के कम में निर्देशित किया गया कि विशेष अभियान चलाकर जिन वाहनों में जी0पी0एस0 नही लगा है उन वाहनों में जी0पी0एस0 लगवाना सुनिश्चित करते हुए जिन ट्रैक्टर ट्राली का कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन नही होने के उंपरान्त भी खनन एवं अन्य कॉमर्शियल कार्यो हेतु उपयोग में लाया जा रहा है उनके विरुद्व कडी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(समस्त उपजिलाधिकारी उधमसिंहनगर/उपनिदेशक खनन उधमसिंहनगर/सम्भागीय परिवहन अधिकारी उधमसिंहनगर)

बिन्दु सं0 6– प्रभारी अधिकारी खनन कलैक्ट्रेट उधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया की जनपद क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गो में अधिकाश डम्पर, जे0सी0बी0 एवं ट्रैक्टर ट्राली स्वामियों द्वारा बिना नम्बर प्लेट या नम्बर प्लेट छुपाकर आवागमन किया जा रहा है, जिससे एक तरफ वाहन दुर्घटना में बढोतरी हो रही है वही उक्त उक्त वाहन ट्रेस नही हो पा रहे हैं।

उपरोक्त के कम में निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाकर बिना नम्बर प्लेट या नम्बर प्लेट छुपाकर आवागमन करने वाले वाहनों के विरुद्व कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, एवं भविष्य में इस प्रकार कोई भी वाहन न चल पाये इस हेतु विशेष प्रबन्ध करना सुनिश्चित करें।

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंहनगर/समस्त उपजिलाधिकारी उधमसिंहनगर/उपनिदेशक खनन उधमसिंहनगर/सम्भागीय परिवहन अधिकारी उधमसिंहनगर)

अन्त में बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियो को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

(युगल किशोर पंत)
जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।

Email Id:dmusn.1995@gmail.com फोन नं0–05944-242344 / फैक्स–05944-250408

पत्र संख्या 8475/न्याय सहा0–2(691)/2023, दिनांक 01/05/2023

प्रतिलिपिः– समस्त अधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(युगल किशोर पंत)
जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।

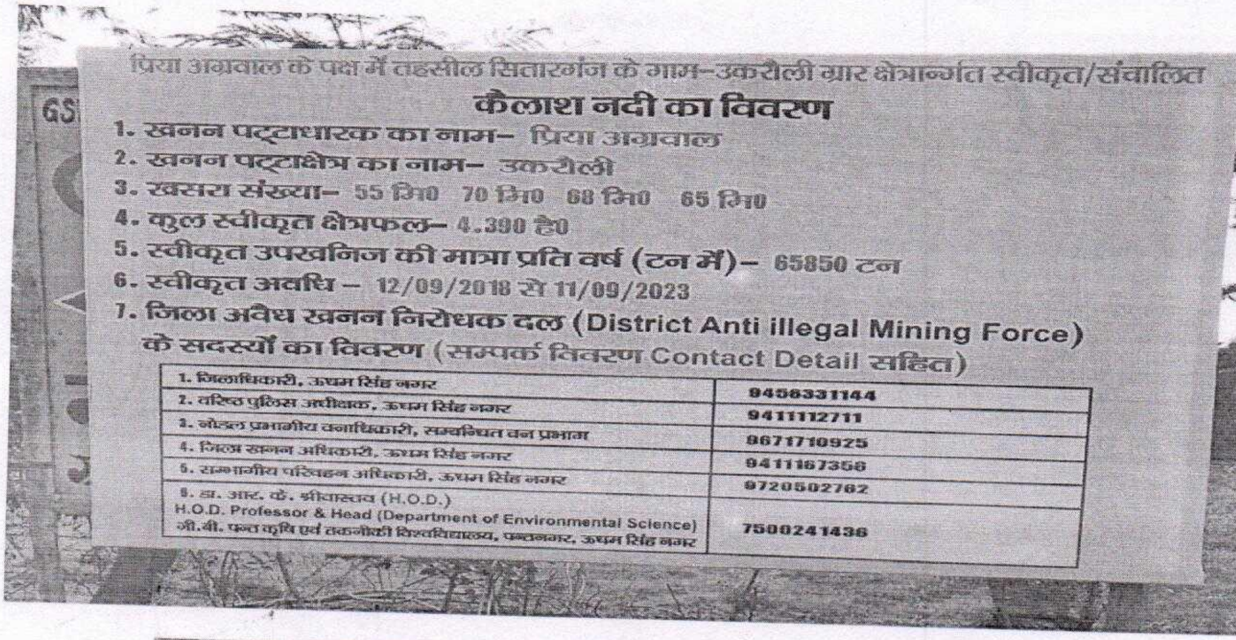

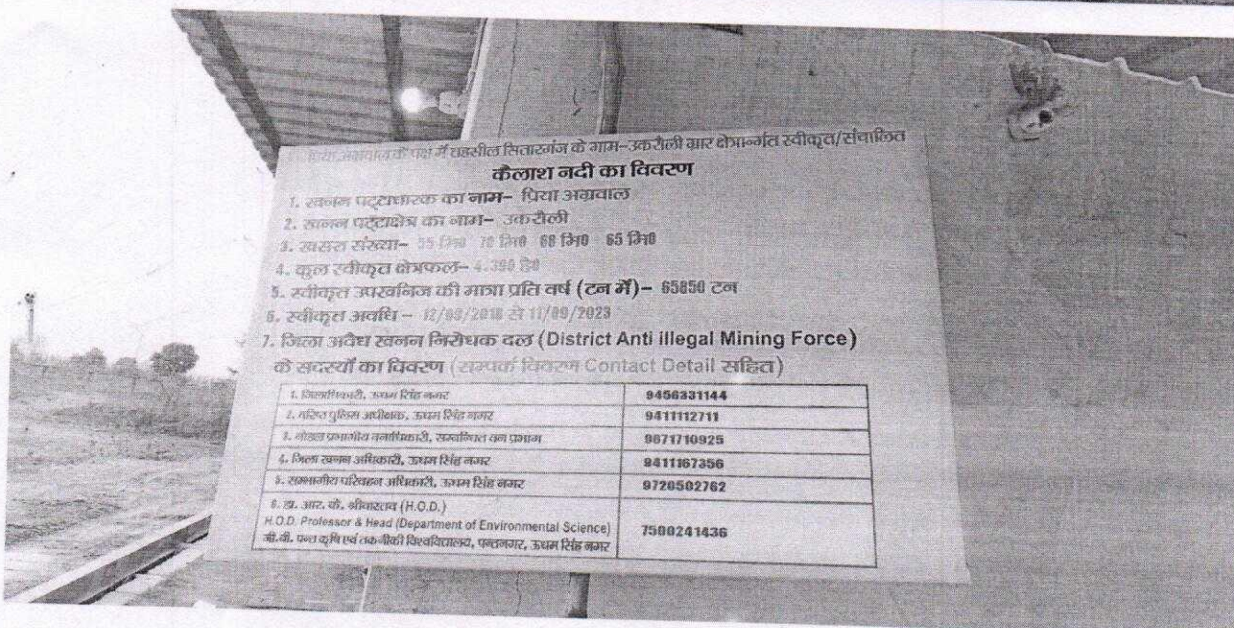

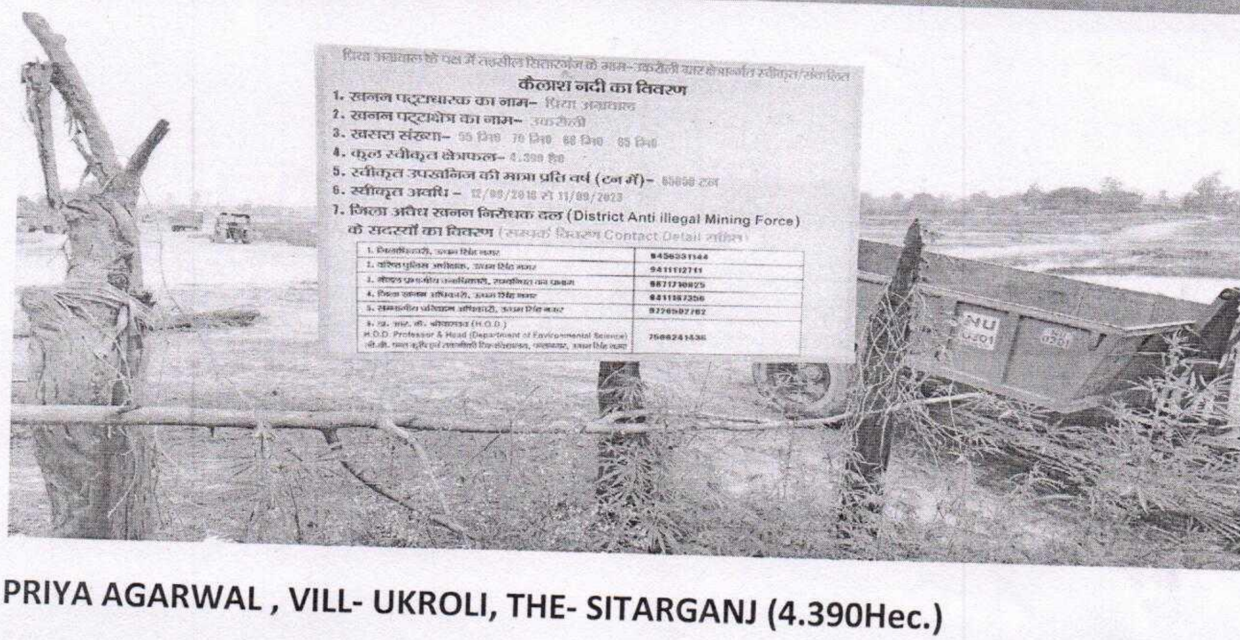

PRIYA AGARWAL , VILL- UKROLI, THE- SITARGANJ (4.390Hec.)

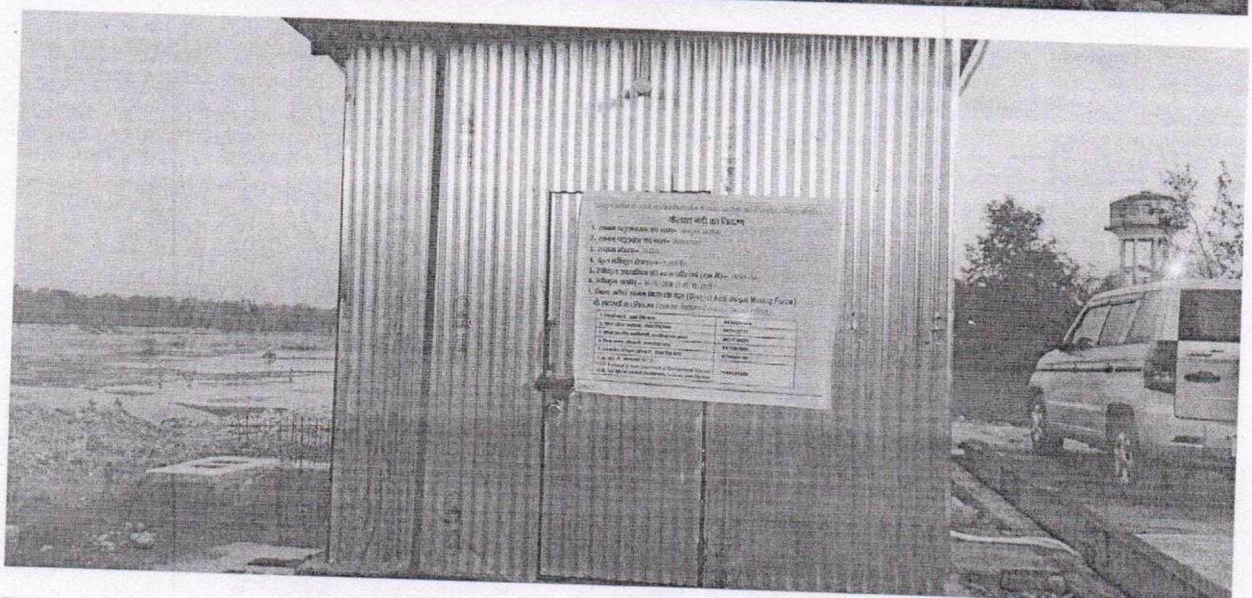

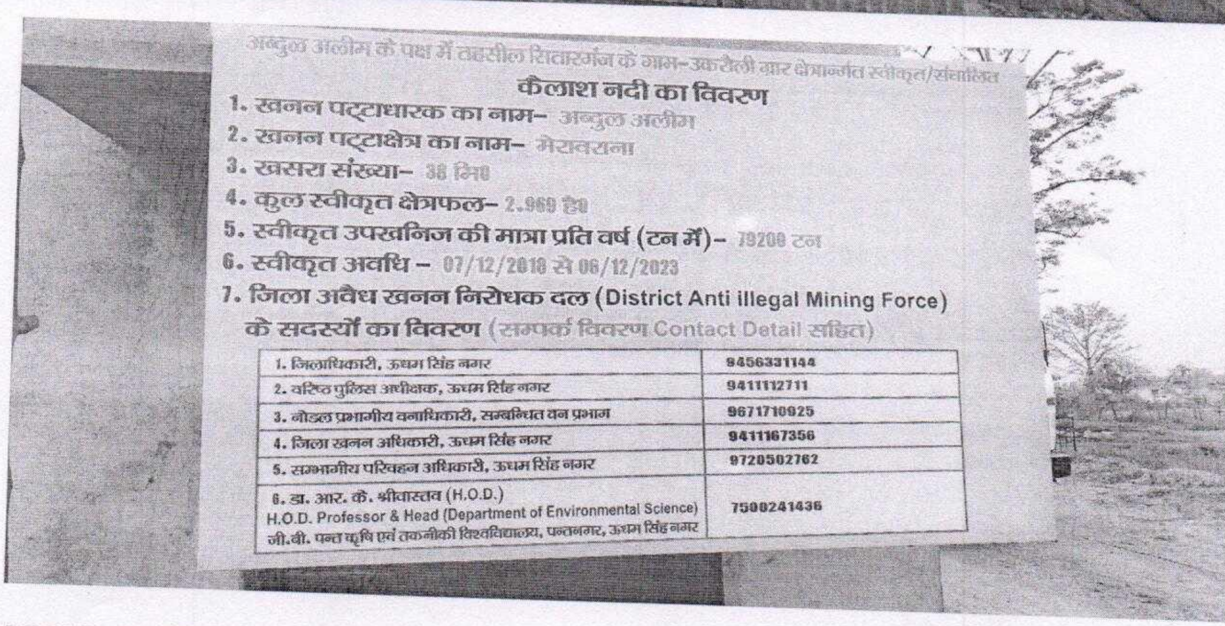

ABDUL ALEEM , VILL- MERAWARANA, THE- SITARGANJ (2.969Hec.)

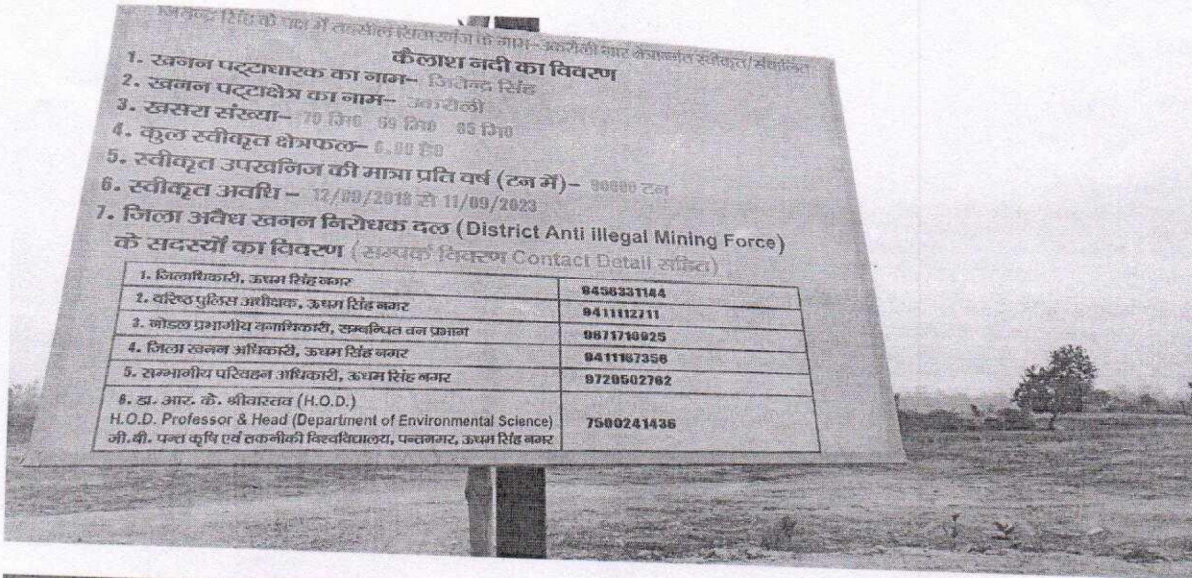

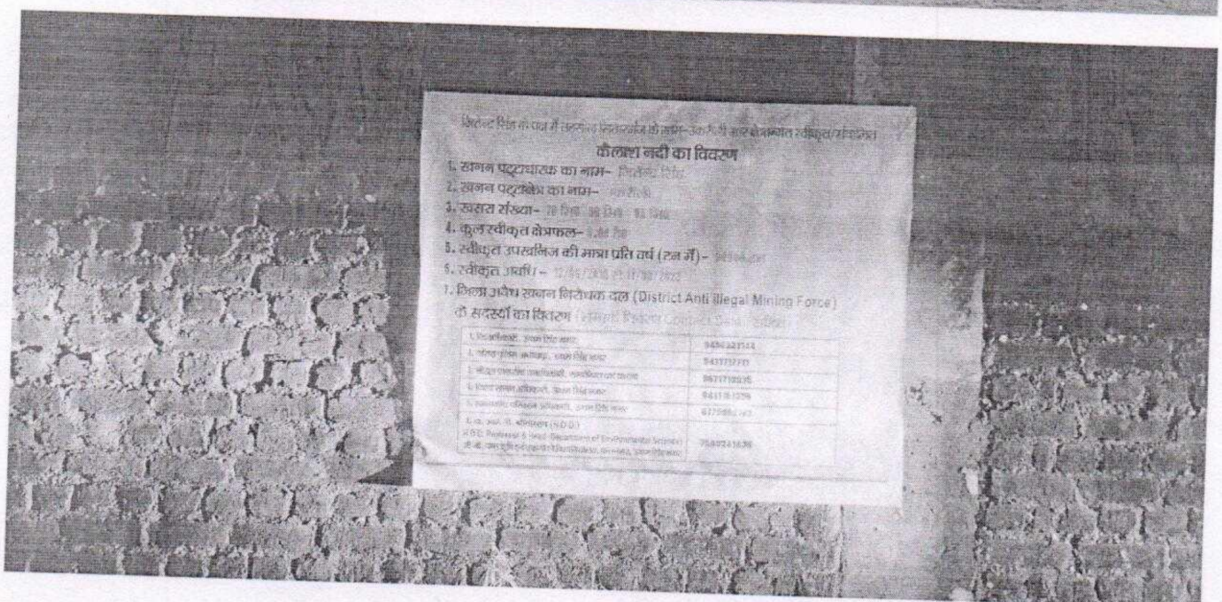

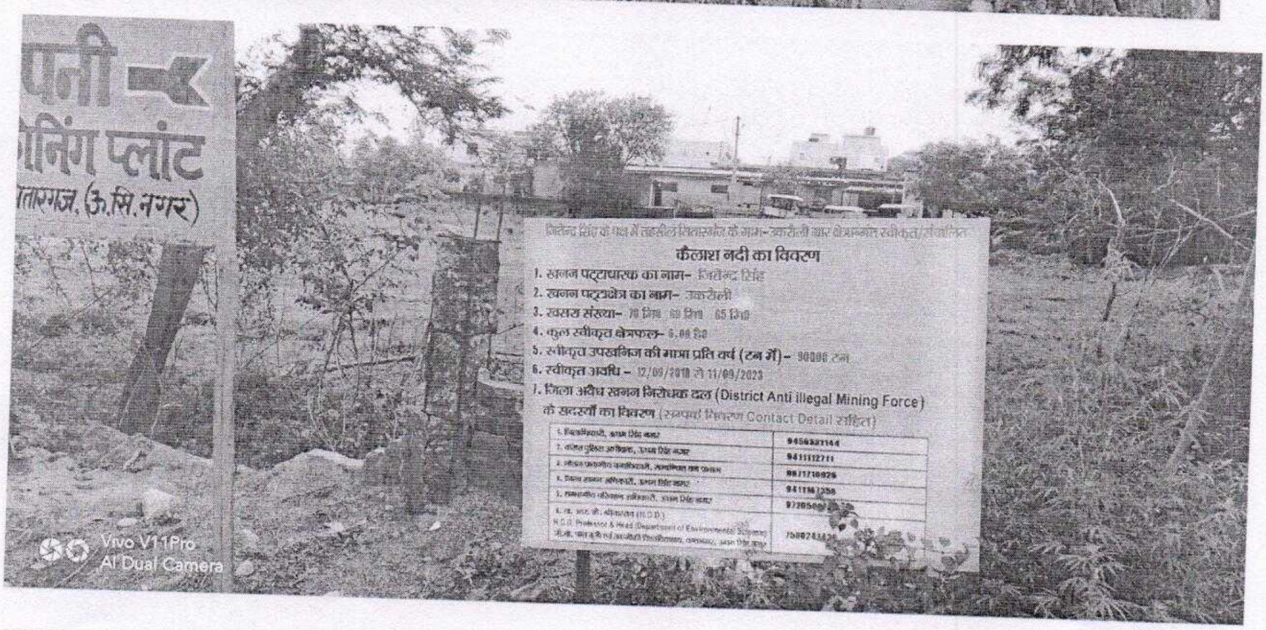

JITENDRA SINGH , VILL- UKROLI, THE- SITARGANJ (6.00Hec.)

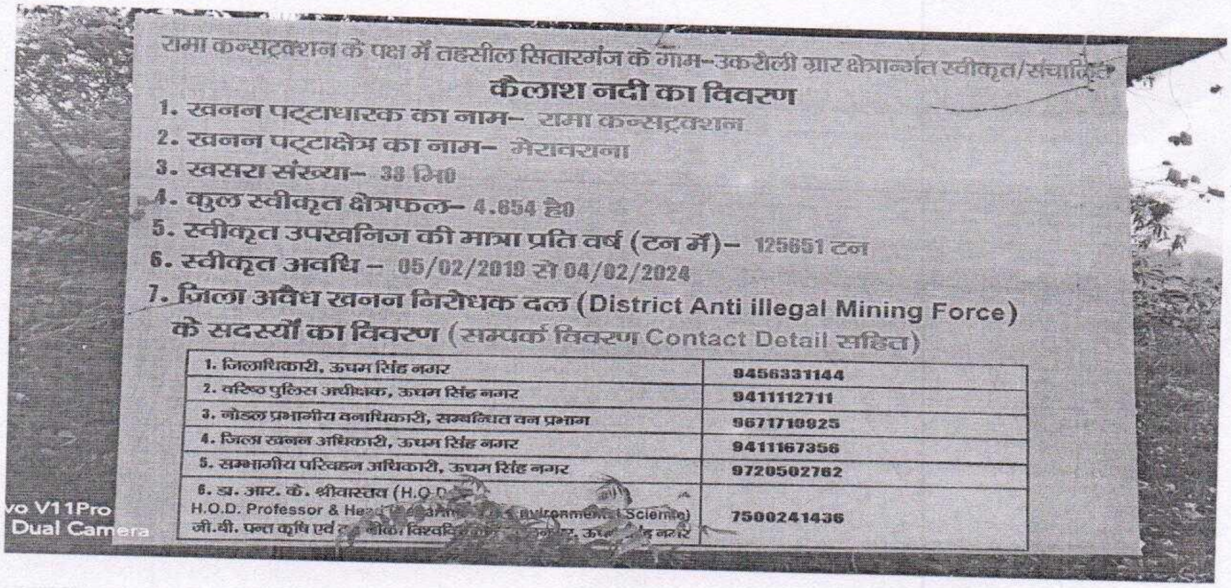

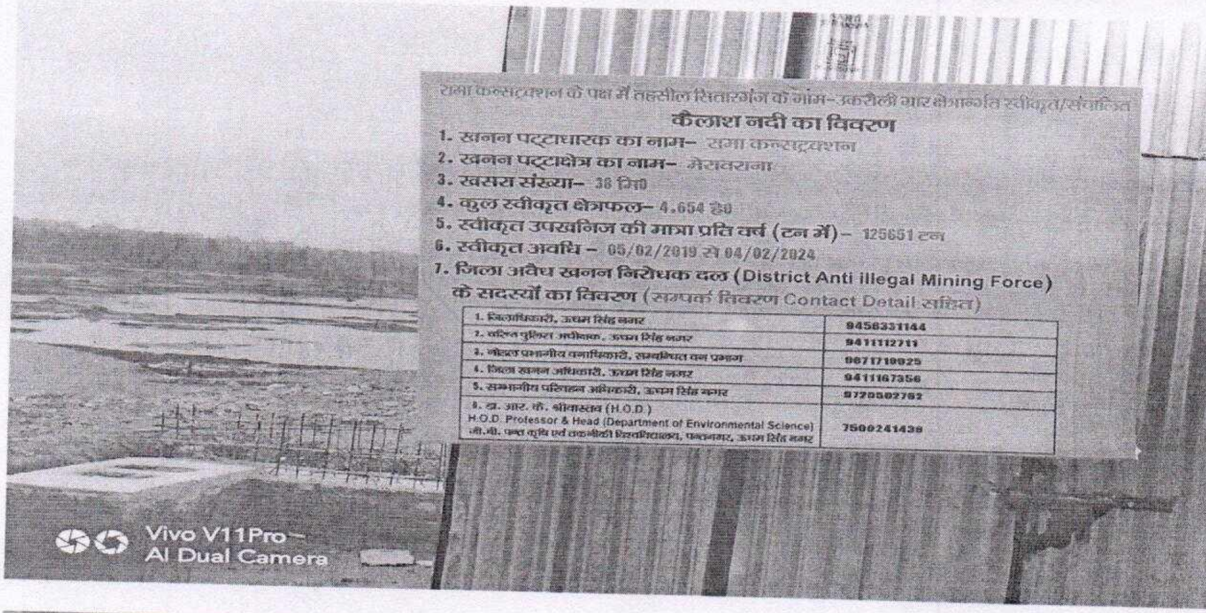

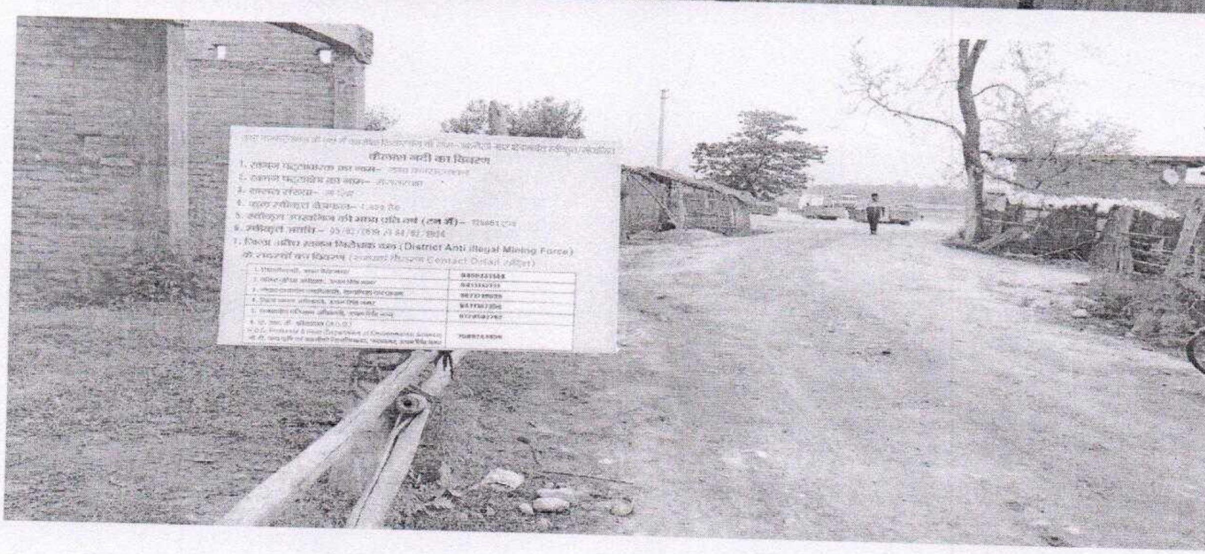

RAMA CONSTRACTION , VILL- MERAWARANA, THE- SITARGANJ (4.654Hec.)

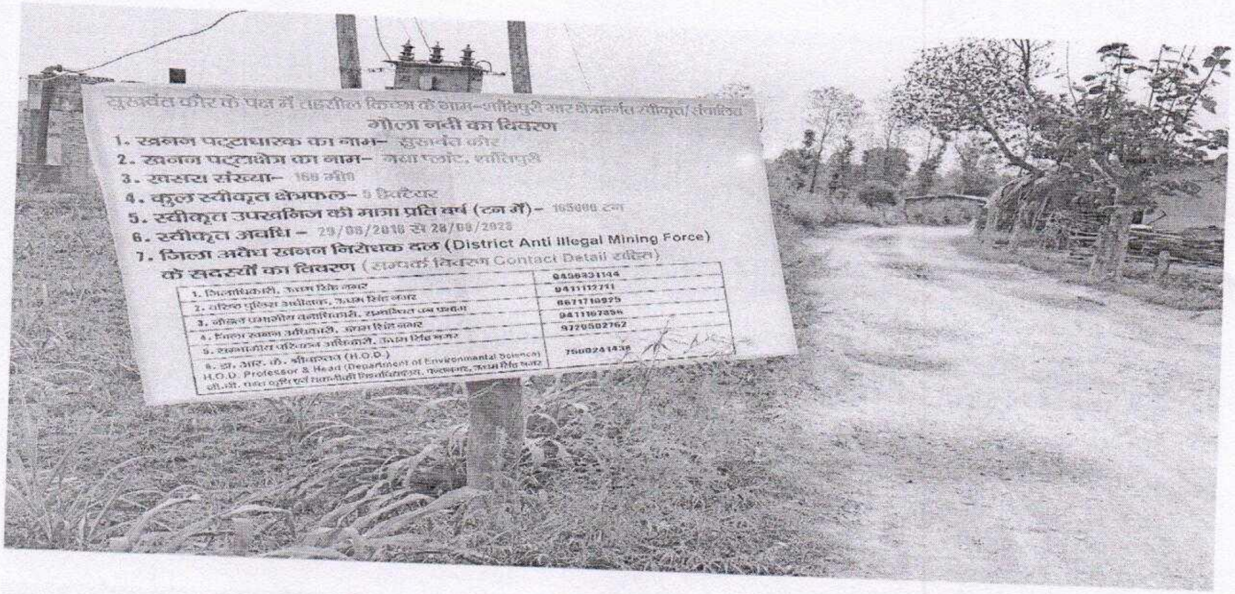

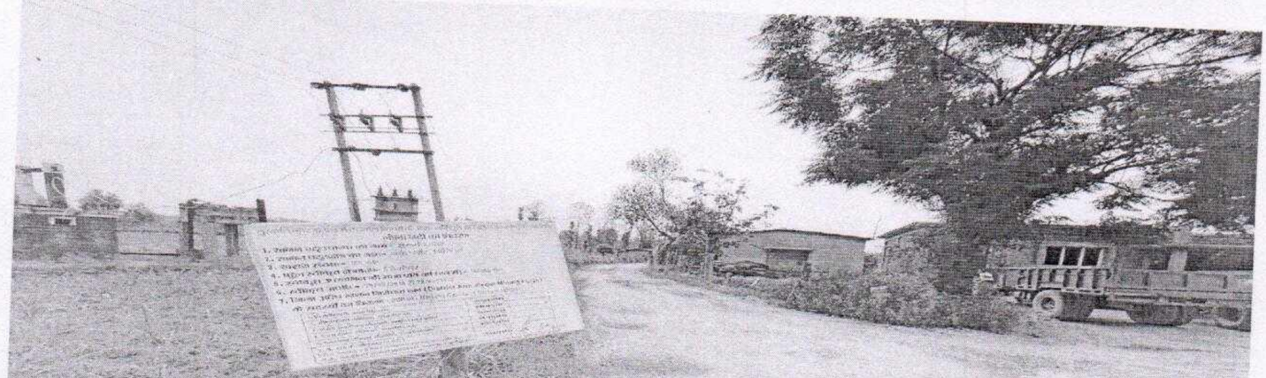

SUKHWANT KAUR , VILL- NEW PLOT SHANTIPURI, THE- KICHHA (5.00Hec.)

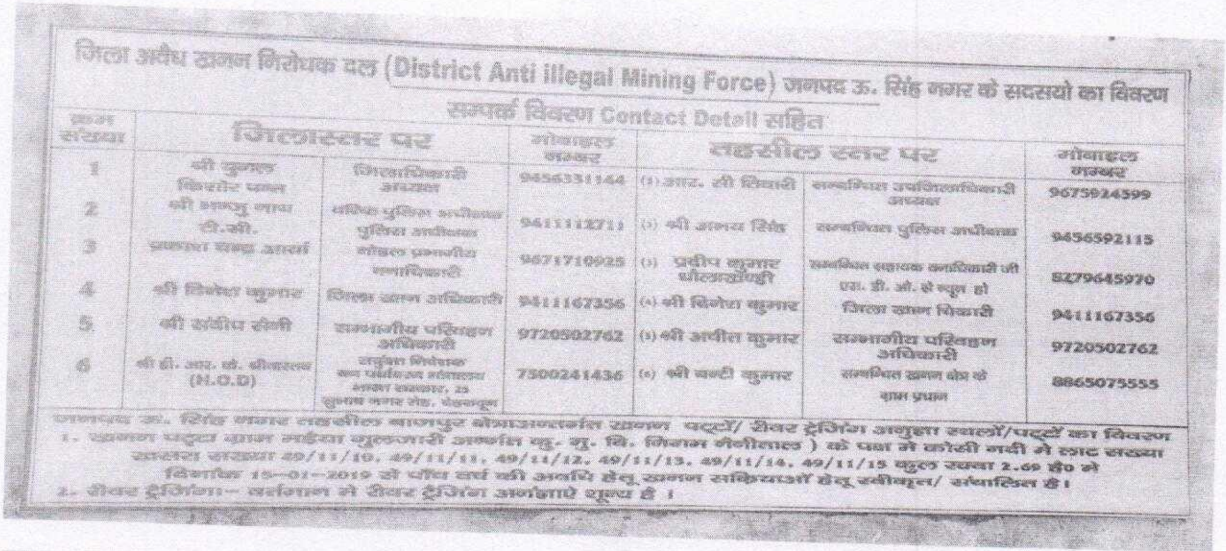

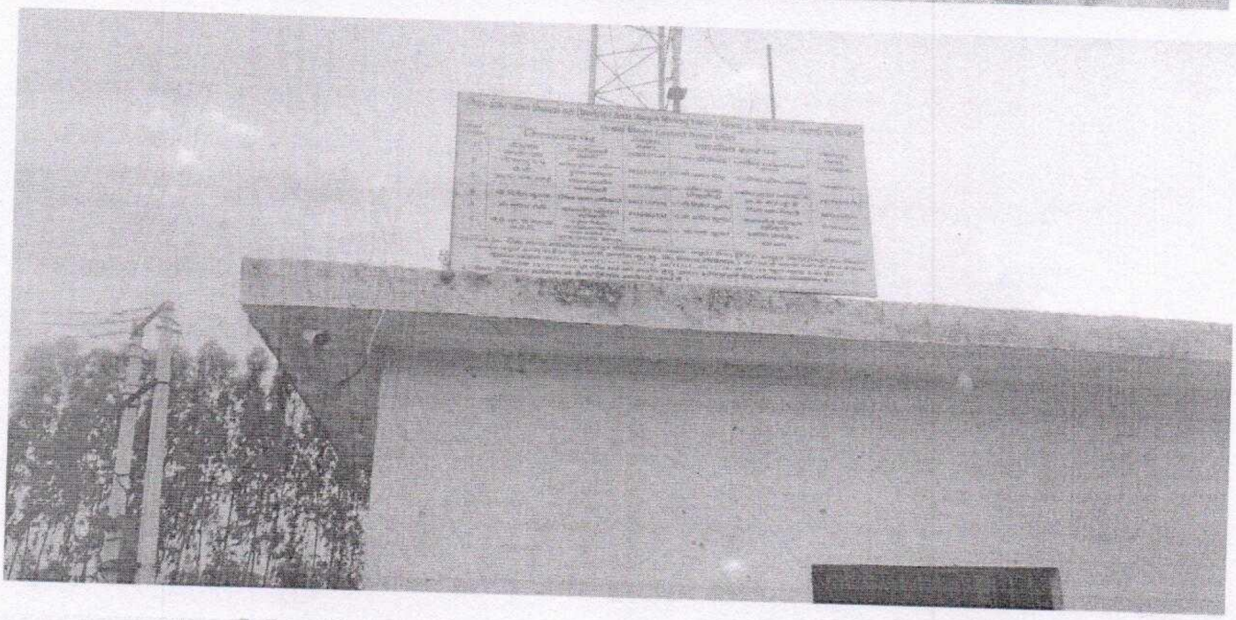

K.M.V.N. NAINITAL , VILL- MANDIYA GULJARI, THE-BAZPUR (2.69Hec.)

District Anti illegal Mining Force
सम्पर्क विवरण Contact Detail सहित
क्रम संख्या
जिलास्तर पर
मोबाइल नम्बर
तहसील स्तर पर
1
श्री युगल किशोर पन्त
जिलाधिकारी अध्यक्ष
9456331144
(1) आर. सी तिवारी
सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
2
टी.सी.
पुलिस अधीक्षक
9411112711
(2) श्री अभय सिंह
3
प्रकाश चन्द्र आर्या
नोडल प्रभागीय वनाधिकारी
9671710925
(3) प्रदीप कुमार
एस. डी. ओ. से न्यून हो
4
श्री दिनेश कुमार
जिला खान अधिकारी
9411167356
(4) श्री दिनेश कुमार
जिला खान धिकारी
5
श्री संदीप सैनी
सम्भागीय परिवहन अधिकारी
9720502762
(5) श्री अपीत कुमार
अधिकारी
6
श्री डी. आर. के. श्रीवास्तव (H.O.D)
सयुंक्त निदेशक
वन पर्यावरण मंत्रालय
भारत सरकार, 25
सुभाष नगर रोड, देहरादून
7500241436

सुन्दर विद्यालय
य प्रा. विद्यालय बैंतखेड़ी
बापू !
अगर लड़के घर का दीपक होवे
तो लड़कियाँ भी रोशनी कम न देती हैं ।
शिक्षा का अधिकार
सब पढ़ें सब बढ़ें